(नियम 26)

आअदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू) मुकाम

साबीर बनाम सरकार

किस्म मुकदमा दावा नं. 100/20 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
22/7/20	आज यह दावा अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act. व 136 L.R.Act. का कार्यालय रिपोर्ट हो कर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादी को सशुल्क तलब किया जावे। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जाकर मिसल दिनांक 24.8.20 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	
24/8/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित । श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं । मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 20-10-20 को पेश हो [signature]	
20/10/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित । श्रीमान ए.सी. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं । मिसल वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 11:12:20 को पेश हो [signature]	
11/12/20	वकील पक्षकरान उपस्थित । पीठासीन अधिकारी महोदय चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनांक 29-1-21 को पेश हो [signature]	
29/1/21	वकुलाय फरीकैन उपस्थित [illegible] श्रीमान एस.डी.ओ.साहब मुख्यालय से बाहर है मिसल दिनांक 26-2-21 को [illegible] हो [signature] जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। शामिल मिसल रहे। [signature]	
26/2/21	वकील वादी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने प्रार्थना पत्र धारा 88 R.T.Act व धारा 136 L.R.Act. के तहत इस आशय का पेश किया है कि विवादित कृषि भूमि खाता संख्या 90 खसरा नम्बर 50 तादादी 2.04 हैक्टेयर व खाता संख्या 91	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर अहव... हुक्म में ज...
	ख०नं० 254/153 तादादी 0.50 हे० रोही मौजा लूदीआवर तहसील राजगढ़ जिला चूरू में वादी के पिता का अशुद्ध नाम खाता संख्या 90 में लाल पुत्र अमीर व खाता संख्या 91 में लालाराम पुत्र अमीर दर्ज है तथा वादी के पहचान के अन्य समस्त दस्तावेज में वादी के पिता का शुद्ध नाम लालमोहम्मद है। अत: जमाबन्दी में शुद्ध करने के आदेश दिए जावे। वाद से सम्बन्धित जाँच रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ़ से ली गई। तहसीलदार राजगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट से प्रकरण के तथ्यों की पुष्टि होती है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में खातेदार के नाम की अशुद्धि हुई है तथा अनुतोष धारा 136 L.R.Act के अन्तर्गत आता है। अत: वाद को धारा 136 L.R.Act. के तहत पाये जाने से प्रकरण को आंशिक रूप से प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R.Act. की हद तक स्वीकार कर विवादित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम खाता संख्या 90 में लाला पुत्र अमीर व खाता सं. 91 में लालाराम पुत्र अमीर के स्थान पर शुद्ध नाम लाल मोहम्मद पुत्र अमीर कुरेशी दर्ज कर शुद्धि के आदेश दिए जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार राजगढ़ को परवाना जारी हो। मिसल फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	